न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 35/15 प्रार्थना–पत्र

निर्णय दिनांक - 27/8/U

बउनवान

1. परमानंद पुत्र स्व0 भवानीशंकर जाति धाकड।
2. प्रहलाद पुत्र स्व0 भवानीशंकर जाति धाकड।
3. रामचरण पुत्र स्व0 भवानीशंकर जाति धाकड।
4. राजेश पुत्र स्व0 भवानीशंकर जाति धाकड।
5. सुलोचना पुत्री स्व0 भवानीशंकर जाति धाकड।
6. जशोदा पुत्री स्व0 भवानीशंकर जाति धाकड समस्त निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गिरजानंदन गौत्तम
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा।

प्रार्थना–पत्र वास्ते राजीनामा एवं डिक्री बउनवान मूर्ति मन्दिर मथूरेश जी बनाम चतुर्भुज पुत्र धन्नालाल धाकड कायम मुकाम भवानीशंकर पुत्र चतुर्भुज मिसल नबंर 836/98 दिनांक 21.09.2007 की पालना में भेंट राशि जमा कराये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान का एक प्रकरण माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88,180, 183 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत जेरकार था। जिसमें दिनांक 21.09.2007 को दोनों पक्षकारों की सहमति से राजीनामा डिक्री होकर फैसल हुआ। राजीनामा मय आदेश व डिक्री पेश है। प्रार्थी प्रतिवादी व विवादित भूमि का रिकॉर्डेड पीढी दर पीढी 60 वर्षों से लगातार रिकॉडेड खातेदार की हैसियत से कृषि कार्य करते हुये काबिज हैं।

यह कि राजीनामा अनुसार वादी प्रतिवर्ष 200/– प्रति बीघा की दर से भेंट स्वरूप राशि प्रतिवादी को अदा करता रहेगा। और यह राशि प्रतिवर्ष 15 मई तक अदा की जावेगी। जिसकी पावती नियमानुसार जारी की जायेगी। भेंट राशि में 5 वर्ष की अवधि के अंतराल पर 5 प्रतिशत की वृद्वि की जावेगी। उक्त भूमि पर वादी पीढी दर पीढी बहेसियत खातेदार काश्त करते रहेंगे। राजीनामा की मद नबंर 06 के अनुसार वादी भेंट राशि का भुगतान

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

करने में लगातार 02 वर्ष की चूक करता है, तो ऐसी स्थिति में भेंट वसूलने का अधिकार प्रतिवादी को होगा तथा विधिवत बेदखली की कार्यवाही का अधिकार होगा।
यह कि प्रार्थीगण राजीनामा डिक्री दिनांक 21.09.2007 की पालना में प्रतिवर्ष 2008 से 2014 तक लगातार जमा करता आ रहा है,जिसमें क्रमशः भेंट राशि रसदी 732, 90, 290, 507, 612, व वर्ष 2014 की भेंट राशि दिनांक 11.04.2014 को जर्ये रसीद संख्या 662 राशि 3800 रूपये जमा करा दी थी। प्रार्थी क्रम 02 वर्ष 2015 की राशि जमा कराने हेतु दिनांक 20.04.2015 को उपस्थित हुआ, परन्तु अधिकारी ने भेंट राशि जमा करने से मना कर दिया , उसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.04.2015 को जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. से एक पत्र भेंट राशि जमा कराने हेतु संलग्न बैंक ड्राफ्ट नबंर 3291 आई.सी.आई.सी.बैंक शाखा कनवास का दिनांक 24.04.2015 का वर्ष 2015 की भेंट राशि 5 प्रतिशत बढाते हुये 4000/– रूपये का संलग्न कर अप्रार्थी के नाम भिजवाया गया था, जिसको अप्रार्थी द्वारा अस्वीकार करते हुये वापस दिनांक 28.04.2015 को डाक से लौटा दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजी को हडप कर बेदखल करने की नियत से प्रार्थीगण का डी.डी. 3391 दिनांक 24.04.2015 को अस्वीकार कर वापस लौटा दिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजीनामें का उल्लघंन का पता चलता है। वर्ष 2015 की भेंट राशि जमा नंही करना माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, जो विधि विरूद्व है। अप्रार्थी कैसे भी करके 15.05.2015 तक की अवधि निकालना चाहता है, जिससे प्रार्थीगण राजीनामें का डिफाल्डर हो जावे जो न्याय के विरूद्व है।

प्रार्थी द्वारा पुनः निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी को वर्ष 2015 व आगे के वर्षों की भी भेंट स्वरूप राशि प्रतिवर्ष जमा किए जाने के आदेश फरमावें विकल्प में माननीय न्यायालय में जमा करवाई जावे।
प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया , अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुये। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई, प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि राजीनामा डिक्री होकर फैसल हुआ। राजीनामा अनुसार प्रतिवर्ष 200/– प्रति बीघा की दर से भेंट स्वरूप राशि जमा कराने के आदेश 15 मई तक अदा करने एवं पांच वर्ष की अवधि के अन्तराल में 5 प्रतिशत की बढोतरी की जायेगी। प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि हम समय–समय पर 200/– रूपये बीघा मुताबिक राजीनामा दिनांक 21.09.2007 को होने के बाद से प्रार्थीगण लगातार भेंट की राशि सन 2012 तक नियमित रूप से क्रमशः दिनांक 13.06.2008 को भेंट राशि 6000/– रूपये रसीद क्रमांक 674 दिनांक 18.05.09 भेंट राशि 6000/– रूपये, रसीद क्रमांक 855 दिनांक 29.06.2010 की भेंट राशि 6000/– रूपये रसीद क्रमांक 78 दिनांक 21.06.2011 की भेंट राशि 6000/– रूपये रसीद क्रमांक 514 से नियमित रूप से जमा करवाते आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2013 की भेंट राशि मंन्दिर समिति के यहां जमा करवाने गये तो उन्होने राशि जमा करने से मना कर दिया। राजीनामा डिक्री दिनांक 21.09.2007 की पालना में प्रतिवर्ष 2008 से 2014 तक लगातार जमा करता आ रहा है,जिसमें क्रमशः भेंट राशि रसदी 732, 90, 290, 507, 612, व वर्ष 2014 की भेंट राशि दिनांक 11.04.2014 को जर्ये रसीद संख्या 662 राशि 3800 रूपये जमा करा दी थी। प्रार्थी क्रम 02 वर्ष 2015 की राशि जमा कराने हेतु दिनांक 20.04.2015 को उपस्थित हुआ, परन्तु अधिकारी ने भेंट राशि जमा करने से मना कर दिया , उसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.04.2015 को जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. से एक पत्र भेंट राशि जमा कराने हेतु संलग्न बैंक ड्राफ्ट नबंर 3291 आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा कनवास का दिनांक 24.04.2015 का वर्ष 2015 की भेंट राशि 5 प्रतिशत बढाते हुये 4000/– रूपये का संलग्न कर अप्रार्थी के नाम भिजवाया गया था, जिसको अप्रार्थी द्वारा अस्वीकार करते हुये वापस दिनांक 28.04.2015 को डाक से लौटा दिया गया है।

जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजी को हडप कर बेदखल करने की नियत से प्रार्थीगण का डी.डी. 3391 दिनांक 24.04.2015 को अस्वीकार कर वापस लौटा दिया गया है।
अप्रार्थी 02 वर्ष का समय निकालना चाहते हैं, जिससे प्रार्थी डिफाल्टर हो जाते हैं, जिससे प्रार्थी डिफाल्टर हो जावे। तथा प्रार्थी के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कर सके।
बहस अप्रार्थी ूनी गई अप्रार्थी द्वारा अपने तथ्यों में बताया कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2015 के बाद कोई राशि जमा नंही कराई गई है, साथ ही यह कथन किया कि देवस्थान विभाग से मंदिरों के मसलों का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नंही है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के बहस तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रार्थना–पत्र पर चाहे गये अनुतोष के कानूनी पक्ष पर भी गौर किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ***Nathadwards v/s L.Rs. of Raghavji & ors RRD 2012 Pg.No 708*** *में दिये गये निर्णय अनुसार* ***"on the perusal of Rajasthan Tenancy Act, there is no provision which empowers the revenue courts to grant the relief of right to cultivate or right to manage the land as prayed. Both the reliefs appear to be of civil nature and it can only be claimed before the civil court and only the civil courts are competent to grant the requested relief to the craving appellant".***

उक्त न्यायिक दृष्टांतानुसार मंदिरों की खुदकाश्त आराजी परकाश्त करने संबधी विवादों में राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष नंही दिया जा सकता है। साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी द्वारा स्वयं व अप्रार्थी के मध्य पूर्व में हुये समझौते (राजीनामा) के उल्लघंन का कथन करते हुए अनुतोष चाहा गया।
पत्रावली पर उपलब्ध उक्त राजीनामे का अवलोकन किया गया ,प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य एक लिखित, निर्धारित समय पर देय धनराशि पर विभिन्न शर्तों सहित राजीनामा हुआ। दोनों पक्षों के मध्य **contract** (संविदा) माना जा सकता है। जिसकी पालना दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में की जाती रही है। अब दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर उक्त संविदा (राजीनामा) के उल्लघंन का आक्षेप लगाया जा रहा है।
चूंकि संविदा उल्लंघन **(Breach of contract)** के मसले राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नंही आते हैं, अतः श्रवणाधिकार के अभाव में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा